आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 918/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डियन बैंक शाखा मानसरोवर, मध्यम मार्ग, जयपुर।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स आहाना डेयरी एलएलपी,
   पंजीकृत कार्यालयः 9–ए, कैलाशपुरी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर।
2. श्री पारस जैन पुत्र श्री उत्तम चंद जैन,
3. श्री अंकित जैन पुत्र श्री उत्तम चंद जैन,
4. श्रीमती गुणमाला जैन पत्नी स्व. श्री राजमल जैन,
5. श्री उत्तम चंद जैन पुत्र स्व. श्री राजमल जैन,
6. श्रीमती शशिबाला जैन पत्नी श्री उत्तम चंद जैन,
   पताः– 120/212, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण ऋणी
एवं गारन्टर

The application under section 14 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002

उपस्थित :– श्री सत्येन्द्र खोरानियां, अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 26.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती शशिबाला जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 120/212, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 119.250 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 21.12.2016 एवं दिनांक 13.02.2020 को कुल राशि 710 लाख/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.11.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 710 लाख /–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन. पी. ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज 08,32,92,261.19/—रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 11.11.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती शशिबाला जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 120/212, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 119.250 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 26.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर